Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding farmers' protests.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आंदोलनकारी किसानों द्वारा किये गये हंगामे की जितनी निंदा की जाये कम है। यह गणतंत्र दिवस की गरिमा को धूमिल किये जाने का कुत्सित प्रयास है। किसान नेताओं द्वारा सारा दोष पुलिस व रैली में कथित रूप से घुस आये असामाजिक तत्वों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। दंगा रोकते समय सैंकड़ों पुलिसकर्मी घायल होने के बावजूद पुलिस द्वारा दिखाया गया संयम प्रशंसनीय है।

यह सारा आंदोलन शुरू से ही गलत तथ्यों की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु गत अनेक दशकों तक चली चर्चा व विशेषज्ञों द्वारा संसद को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर संसद ने तीन नये कानून पारित किये हैं। यह अत्यंत खेद की बात है कि आंदोलनकारी किसान नेता इन कानूनों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते। बार-बार इन कानूनों को रद्द करने की मांग करने का अर्थ यह है कि किसान नेता सच का सामना नहीं करना चाहते।

ये तीनों कानून किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचने की व पूंजी जुटाने की आजादी दिलाने के लिये हैं। किसान नेताओं को डर है कि यदि तथ्य और तर्क के आधार पर चर्चा हुई तो किसान नेताओं की वास्तविक स्थिति उजागर हो जायेगी। सच तो यह है कि किसानों पर कोई पाबंदी नहीं है। वे पुरानी व्यवस्था से ही अपना कारोबार करने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः नये कानून रद्द करने का कोई औचित्य व आवश्यकता भी नहीं है।

लगातार भ्रामक बातें फैलाकर भोले-भाले किसानों को उकसाकर सरकार और प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल करने के प्रयास को आंदोलन कहना, लोकतंत्र में हमें मिले आंदोलन करने के अधिकार का खुला दुरुपयोग है। अब सरकार को चाहिये कि तीनों कानूनों पर तथ्य व तर्कों के आधार पर खुली व व्यापक बहस करायें। किसान नेता आंदोलन समाप्त कर इसमें शामिल हों। आम

जनता भी समझ सके कि भोले-भाले किसानों को देश विरोधी ताकतें किस तरह भ्रमित कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार आज समय की आवश्यकता है। इन कानूनों में कोई बदलाव किसानों के हित और सुरक्षा हेतु किये जाने की आवश्यकता हो तो सभी स्टेट होल्डर्स से चर्चा कर सरकार निर्णय ले।